लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 3882
उत्तर देने की तारीखः 17.03.2020

अनुसूचित जातियों का उप-वर्गीकरण

3882. श्री अनुमुला रेवंत रेड्डीः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को अनुसूचित जातियों (एससी) के उप-वर्गीकरण के लिए प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या न्यायमूर्ति उषा मेहरा आयोग ने 2008 के दौरान इस संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है और निर्णय अभी भी लंबित है;
(ग) यदि हां, तो रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू न करने के क्या कारण हैं;
(घ) क्या सरकार अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण के लिए संसद में एक विधेयक लाने के लिए तत्काल कदम उठाएगी और इस संबंध में एक कानून बनाने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करेगी;
(ङ) यदि हां, तो इस पर प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(च) क्या सरकार द्वारा इस मामले में तेजी लाने के लिए संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासन के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री रतन लाल कटारिया)

(क): अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण के लिए विभिन्न वर्गों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) से (च): आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण के मुद्दे की जांच करने हेतु न्यायमूर्ति ऊषा मेहरा की अध्यक्षता में गठित एक राष्ट्रीय आयोग (एनसीएससीएससी) ने दिनांक 01.05.2018 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण तथा उप-वर्गीकरण करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 341 में संशोधन की संस्तुति की थी। सरकार ने प्रमुख हितधारकों अर्थात राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से एनसीएससीएससी की सिफारिश के संबंध में उनका विचार प्राप्त करने का निर्णय लिया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उनकी टिप्पणियों को शीघ्र भेजने के लिए पिछली बार दिनांक 09.12.2019 को स्मरण कराया गया था।

*****